<u>सराहनीय कार्य</u>

<u>प्रेस नोट</u>

<u>मीडिया सेल, जनपद गोण्डा</u>

<u>दिनांक 04.09.2022</u>

<u>हत्या कर शव को छिपाने की घटना का अनावरण, 02 अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाईकिल व चादर बरामद-</u>

दिनांक 16.08.2022 को वादी प्रवीण तिवारी पुत्र रामसेवक तिवारी निवासी ग्राम ककरहवा रनियापुर थाना विशेश्वरगजं जनपद बहराइच द्वारा थाना कौडिया पर सूचना दी गयी कि उसके पिता का किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपहरण कर लिया गया है। सूचना पर थाना स्थानीय में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा शिवराज के पर्यवेक्षण में घटना के जल्द से जल्द अनावरण हेतु थानाध्यक्ष कौडिया को निर्देशित किया गया था। घटना संदिग्ध प्रतीत होने पर गहनता से विवेचना की गई तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि वादी मुकदमा द्वारा स्वयं पैसो के लालच में आकर ग्राम घुचुवापुर मौजा कोचवा के अपने एक साथी रामकृपाल पाठक उर्फ बड़कऊ पुत्र रामफेरे पाठक के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या कर दी व लाश को छिपाने के उद्देश्य से एक बोरी में लाश को भरकर उसे चादर से ढक कर आर्यनगर नहर पुलिया से फेंक दिया गया था। आज दिनांक 04.09.2022 को मुखबिर खास की सूचना पर दोनो अभियुक्तगणो को ग्राम रनियापुर ककरहवा मोड़ बहद ग्राम सहजनवा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त रामकृपाल पाठक उर्फ बड़कऊ के पास से हत्या करने के लिये दिये गये 10 हजार रुपयों में से 4600 रुपये व हत्या के बाद लाश छिपाने के समय प्रयोग की गयी मोटर साइकिल व लाश को ढकने के लिये प्रयोग की गयी चादर बरामद कर लिया गया। अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना कौड़िया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण-</u>

01. प्रवीण तिवारी पुत्र स्व0 रामसेवक तिवारी निवासी ग्राम रनियापुर ककरहवा थाना विशेश्वरगंज जनपद बहराइच।

02. रामकृपाल पाठक उर्फ बड़कऊ पुत्र रामफेरे पाठक निवासी घुचुवापुर मौजा कोचवा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

<u>बरामदगी-</u>

01. घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाईकिल।

02. घटना में प्रयुक्त 01 अदद चादर।

03. 4600/- नगद।

<u>गिरफ्तार कर्ता टीमः-</u>

थानाध्यक्ष कौडिया मदनलाल गौतम मय टीम।

<u>**सराहनीय कार्य**</u>

<u>**प्रेस नोट**</u>

<u>**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**</u>

<u>**दिनांक 04.09.2022**</u>

<u>लूटपाट की योजना बनाते समय 02 अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी करने के उपकरण सहित अवैध तमंचा कारतूस, 01 अदद मोटरसाइकिल बरामदः-</u>

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत चोरो/वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने एवं चोरी की घटनाओं के शीघ्र अनावरण के लिए समस्त प्रभारी निरीक्षकों/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिये थे। उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना इटियाथोक पुलिस ने लूटपाट की योजना बनाते समय 02 अभियुक्तों-01.रामबाबू सोनी, 02. अजय कुमार को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 01 अदद मोटरसाइकिल, जामा तलाशी के दौरान अभियुक्त रामबाबू सोनी के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिंदा कारतूस व मु0अ0सं0-299/22, धारा 379 भादवि से संबंधित 1160/- रुपए बरामद किया गया। उक्त अभियुक्तगण दिनांक 21.08.2022 को मिश्रा पेट्रोल पंप के सामने एक मकान से बिजली का मोटर चोरी किया था। अभियुक्त गणों के विरुद्ध थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई की गई।

<u>**गिरफ्तार अभियुक्तगण -**</u>

01. रामबाबू सोनी पुत्र विजय कुमार सोनी निवासी नरौरा भर्रारापुर थाना इटियाथोक जनपद गोंडा।
02. अजय कुमार पुत्र रामसमुझ पासवान निवासी बकठोरवा थाना इटियाथोक जनपद गोंडा।

<u>**पंजीकृत अभियोग-**</u>

01. मु0अ0सं0-341/22, धारा 398,40 भादवि थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0-342/22, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

<u>**अनावरित अभियोगः-**</u>

01. मु0अ0सं0-299/22, धारा 379,411 भादवि थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

<u>**बरामदगी-**</u>

01. 01 अदद देशी तमंचे 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

04. 1160/- रुपए।

<u>**गिरफ्तार कर्ता टीम-**</u>

01. उ0नि0 चंद्रशेखर प्रकाश सिंह मय टीम।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 04.09.2022

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 08 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

02 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा। पुलिस अधिक्षक महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोंडा के थाना परसपुर पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

01. थाना को0 मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. सूर्यलाल उर्फ दर्जी रुआर सत्यनारायण बरुआर नि0 छोटका करौंदी थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-367/22, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. जय सिंह पुत्र मलिकराम नि0 ग्राम मजहन पुरवा मौजा नवाबगंज गिर्द थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 355/22, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना को0 देहात द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. दूरपटी पत्नी गुरु प्रसाद नि0 उत्तर बैनिया थाना को0 देहात जनपद गोंडा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 394/22, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

<u>सराहनीय कार्य</u>
<u>प्रेस नोट</u>
<u>मीडिया सेल, जनपद गोण्डा</u>
<u>दिनांक 04.09.2022</u>

<u>अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार, परिवहन में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाइकिल बरामद-</u>

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री मे संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को दिये थे।
उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना छपिया पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त सनीपाल को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 495 ग्राम अवैध गांजा, 4 पुड़िया स्मैक व परिवहन में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाइकिल बरामद किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना छपिया में एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त-</u>
01. सनीपल पुत्र अंबिकापाल नि0 बावरापारा पैकौलिया जनपद बस्ती।

<u>पंजीकृत अभियोग-</u>
01. मु0अ0सं0-244/22, धारा 8/20/21 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट व 207 एमवी ऐक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।

<u>बरामदगी-</u>
01. 495 ग्राम अवैध गांजा।
02. 04 पुड़िया स्मैक (01 ग्राम 760 मिलीग्राम)
02. 01 अदद मोटरसाइकिल।

<u>गिरफ्तार कर्ता-</u>
उ0नि0 अरूण कुमार गौतम मय टीम।

<u>सराहनीय कार्य</u>

<u>प्रेस नोट</u>

<u>मीडिया सेल, जनपद गोण्डा</u>

<u>दिनांक 04.09.2022</u>

<u>बलवा कर जानलेवा हमला करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-</u>

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।
उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना खरगूपुर पुलिस ने बलवा व जानलेवा हमला करने के वांछित अभियुक्त श्याम किशोर उर्फ नथुनी शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने अपने परिजनों के साथ मिलकर दिनांक 29.08.2022 को वादी करीमुल्ला पुत्र सुबराती नि0 ग्राम छितौनी थाना कौडिया जनपद गोंडा को बलवा करते हुए मारा-पीटा था तथा जान से मारने का प्रयास किया था। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना खरगूपुर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त के विरूद्ध थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगणः-</u>

01. श्याम किशोर उर्फ नथुनी शुक्ला नि0 ग्राम राजाजोत मौजा अनंतपुर थाना खरगूपुर जनपद गोंडा।

<u>पंजीकृत अभियोग-</u>

01. मु0अ0सं0-226/22, धारा 147,148,149,307,295,342,323,504,506 भादवि थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

<u>गिरफ्तार कर्ता टीम-</u>

उ0नि0 दूधनाथ चतुर्वेदी मय टीम।